

छत्तीसगढ़ शासन  
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
:: मंत्रालय ::  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

कमांक 5-11/2022/29-2, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.10.2022

विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य के रिक्त पद की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति के संबंध में।

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य के रिक्त पद की पूर्ति हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम 2020 के प्रावधान एवं चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी में निम्न अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये हैं।

निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये आवेदन पत्रों का विवरण छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की वेबसाइट <http://www.cgscdrc.cg.nic.in> तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट <https://khadya.cg.nic.in> पर अपलोड किया गया है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पंडरी रायपुर को दिनांक 31 अक्टूबर 2022, कार्यालयीन समय तक प्रेषित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।



निर्धारित मापदण्ड अनुसार नही पाये गये आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2022, कार्यालयीन समय तक प्रेषित किया जा सकता है।

क्र.	आवेदक का नाम	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाये जाने के कारण
1	श्री राजेन्द्र साहू	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नही होने के कारण।
2	श्री मनोज सिंह ठाकुर	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नही होने के कारण।
3	सैय्यद अफसर अली	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नही होने के कारण।
4	श्री मन्लूलाल श्रीकांत,	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नही होने के कारण।
5	श्री विजय कुमार लांजे,	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नही होने के कारण।
6	श्री महेश्वर शुक्ला,	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नही होने के कारण।



7	श्री मनोज कुमार सोनकर,	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण।
8	श्री रणवीर सिंह भामरा,	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण।
9	श्री तपोधन सिंह सिसोदिया	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण।
10	श्रीमती महिमा सिंह	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण।
11	श्रीमती टी दुर्गा जयोति राव	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण।
12	अंकित कुमार मिश्रा	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण।
13	सुश्री शमीम रहमान	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण।

*Handwritten signature*



14	श्री महेन्द्र कुमार देवांगन	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण ।
15	श्रीमती दीपा दास	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण ।
16	डॉ. योगेश दुबे	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण ।
17	श्री सुरेश कुमार महन्त	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 (2)(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण ।

18/08/22  
(नीलम पद्म एल्मा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग